



चीन में नई पहल भी फेल होगी ?

2016 में अचानक इस नीति में संशोधन करते हुए कहा गया कि सभी मैरिड कपल दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। पांच साल बाद अब इस सीमा को बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति में इस तरह का बार-बार बदलाव बताता है कि इस नीति में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है।

शांति शाह।।

चीन सरकार ने अपनी बहुचर्चित बर्थ कंट्रोल पॉलिसी में अहम बदलाव लाते हुए घोषणा की है कि अब वहां हर विवाहित जोड़े को तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत होगी। चीन में 1980 से सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पूरी सख्ती से लागू थी। 2016 में अचानक इस नीति में संशोधन करते हुए कहा गया कि सभी मैरिड कपल दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। पांच साल बाद अब इस सीमा को बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति में इस तरह का बार-बार बदलाव बताता है कि इस नीति में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। जब चीन ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू करना शुरू किया, तब भी यह कहा गया था कि सभ्य समाज में ऐसी

जबर्दस्ती अच्छी चीज नहीं है और यह भी कि आगे चलकर इस नीति के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इन बातों से बेपरवाह चीन ने यह नीति जारी रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर काफी हद तक काबू पा लिया और तेज आर्थिक विकास भी सुनिश्चित किया। लेकिन इसके साथ ही वहां की आबादी का स्वरूप भी बदलता गया। समाज में वृद्धों-बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई और श्रमशील आबादी का प्रतिशत कम होता गया। नतीजा यह कि जहां आर्थिक विकास की रफतार को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं आबादी के घटने का खतरा भी उपस्थित हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि चीन में जन्म दर

पिछले चार सालों में लगातार गिरी है। पिछले साल वहां कुल 1.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 2019 में 1.46 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। एक साल में यह 18 फीसदी की गिरावट थी। वहां फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला द्वारा पूरे जीवन काल में जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या 1.3 है, जबकि आबादी का समान स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या 2.1 मानी जाती है। जाहिर है, 2016 में बच्चों की संख्या में छूट देने का कोई लाभ नहीं हुआ और विशेषज्ञों के मुताबिक इसे बढ़ाकर तीन करने का भी शायद ही कोई फायदा हो।



वजह यह है कि लोग इस छूट का इस्तेमाल करने की मनरुस्थिति में ही नहीं हैं। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के दौर में पैदा हुए और पले-बढ़े लोग यह महसूस नहीं कर पा रहे कि बच्चे को भाई-बहनों की भी जरूरत होती है, उनके व्यक्तित्व के विकास में इससे मदद मिलती है। बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा-दीक्षा का खर्च बढ़ गया है। बच्चे के साथ-साथ परिवार के बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी संभालने में परत लोगों के लिए बच्चों की संख्या बढ़ाने की सोचना मुश्किल है। यही नहीं, देर तक काम करने का कल्चर भी इसमें बाधा बन रहा है। कुल मिलाकर देखें तो सरकार की सख्ती ने चीनी समाज को एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया है, जहां से निकलने की कोई सीधी सरल राह नहीं दिख रही।

बेसब्री से इंतजार

अशोक वोहरा। चातक पक्षी को लेकर यह मान्यता है कि उसकी प्यास

स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही बुझती है। उसे मेघों के बरसने का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। जाहिर

धर्म-दर्शन



है कि ऐसी तमाम धारणाएं वर्षा जल की अहमियत को रेखांकित करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आसमान से टपकने वाली बारिश की नन्हीकूनन्ही मोती सरीखी चमकती बूंदों में ताजगी है, उर्जा है, पोषण है और हर प्राणी को आह्लादित कर देने वाली एक अद्भुत शक्ति है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें वर्षा ऋतु की महत्ता का ठीकठूठीक अंदाजा नहीं। हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारी खेती ज्यादातर वर्षा के जल पर ही निर्भर है। अतिवृष्टि होने पर भी हमारी फसल प्रभावित होती है और अनावृष्टि का भी हमारी पैदावार पर उल्टा असर पड़ता है।

संपादकीय

कब्जे की कोशिश

राज्यों के चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग की तरह ताकतवर नहीं बन पाए हैं, इसलिए अक्सर रसूखदार लोग पंचायत प्रतिनिधियों पर कब्जे की कोशिश करते हैं। गड़बड़ी यहीं होती है। अतीत में तो उत्तर प्रदेश और बिहार में इन पंचायत प्रतिनिधियों की बोली लगती रही है। बोली में नाकाम होने पर हिंसा का सहारा भी लिया जाता रहा है। जाहिर है, गांवों में आ रही इतनी बड़ी रकम पर पंचायत प्रतिनिधियों की नजर रहती है। उनका ध्यान इस रकम के जरिए अपने गांव, जिले या ब्लॉक का विकास करने पर उतना नहीं रहता जितना अपना रसूख और धनबल बढ़ाने पर होता है। इसीलिए राजनीति की कमियां पंचायती राज में भी आ गई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम विकास के लिए तीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। गड़बड़ियों की एक वजह जिला पंचायत और ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने की व्यवस्था भी है। हर स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है लेकिन ब्लॉक और जिला प्रमुखों के लिए यह व्यवस्था नहीं है। जब पंचायती व्यवस्था प्राचीन परंपरा की आत्मा से दूर होगी, त्याग की भावना वाली राजनीति के लिए उसमें जगह नहीं बचेगी तो हिंसा, हंगामा, मारपीट अपरिहार्य है।

लोकतंत्र की बुनियाद लोकभावना पर टिकी है, इसलिए इसकी कामयाबी की एक शर्त यह भी है कि जीत और हार को सहजता से लेने की आदत विकसित होती रहे।

धनबल, बाहुबल का जोर

उमेश चतुर्वेदी।।

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेकर हंगामा बरपना स्वाभाविक है। लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने स्वीकार किया है, उसमें जीतने वाली पार्टी का उत्साहित होना और हारने वाली पार्टी का दुखी होना भी सहज है। हालांकि लोकतंत्र की बुनियाद लोकभावना पर टिकी है, इसलिए इसकी कामयाबी की एक शर्त यह भी है कि जीत और हार को सहजता से लेने की आदत विकसित होती रहे। दुर्भाग्यवश, देश में राजनीति जिस पटरी पर आगे बढ़ती रही है, उसमें ऐसे मोके कम से कम होते गए जब हम पराजित पक्ष को शालीनतापूर्वक हार स्वीकार करते या विजेता पक्ष को विनम्रतापूर्वक जीत ग्रहण करते देख सकें।

यूपी के हालिया पंचायत चुनावों के बाद उभरे आरोप-प्रत्यारोपों, विवादों, बहसों को अगर पंचायती राज व्यवस्था की खामियों और खूबियों पर केंद्रित रखा जा सकता तो उपयोगी विमर्श की संभावना बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम भूल गए हैं कि गांधी जी ने प्राचीन व्यवस्था पर आधारित जिस पंचायती राज की कल्पना की थी, उसकी आत्मा मौजूदा व्यवस्था से गायब है। इस संदर्भ में संविधान के उस 73वें संशोधन की पड़ताल होनी चाहिए थी, जिसके जरिए पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, जिसे आजाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में



मील का पत्थर माना गया। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। पंचायती राज में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रयोग को सिर्फ सत्ता और राजनीतिक दलों से ही जोड़कर देखा जा रहा है।

गांधी के लोकतंत्र की अवधारणा में जो ग्राम स्वराज है, वह पंचायती राज कानून के तहत मिली पंचायती राज व्यवस्था से कहीं अलग है। गांधीजी ने ग्राम स्वराज को लेकर जो कहा है, उसे याद कर लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है, 'सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।' गांधी पंचायती राज या ग्राम स्वराज को भावी भारत के सर्वांगीण विकास की बुनियाद बनाना चाहते थे। उन्होंने लिखा है, 'स्वराज की मेरी कल्पना यह नहीं

है कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो।' मौजूदा पंचायती राज व्यवस्था जिस तरह का नजारा प्रस्तुत कर रही है, उससे साफ है कि गांधी की कल्पना दूर कहीं पीछे छूट गई है।

दरअसल हमने जिस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है, वह एक तरह से संसदीय लोकतंत्र की ही नकल है। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल दांव-पेच आजमाते रहते हैं। हालिया चुनाव सुधारों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं और चुनाव आयोग की सक्रियता की बदौलत अब संसदीय चुनाव पिछली सदी के अस्सी के दशक की तुलना में काफी साफ-सुथरे हो गए हैं। लेकिन पंचायती राज चुनाव अभी उन बुराइयों से दूर नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक या कोई और राज्य, पंचायती चुनाव जब भी होते हैं, हंगामा होता है। हारने वाला सत्ता पर सवाल उठाता है और जीतने वाला उसे जनसमर्थन का प्रतीक बताता है।

पंचायती चुनाव पर उठने वाले हंगामे पर चर्चा से पहले हमें अपने इतिहास की ओर भी झांक लेना चाहिए। हजार साल की गुलामी के बावजूद भारतीय समाज व्यवस्था के बने रहने और 18वीं सदी तक दुनिया की कुल जीडीपी में भारत की करीब आधी हिस्सेदारी कायम रहने के पीछे हमारे ग्राम स्वराज का बड़ा हाथ था।

सूदोक्रुक कवताल- 5204

			1		6
				5	
2	3	9			8
6					5
		8	3		
1					4
	7		1	3	9
		2			
5		6			

सूदोक्रुक कवताल- 5204 का हल

■ अंकेक रॉकि में 1 से 9 तक के अंक भरें जो अंकव्यक्त हैं।
 ■ अंकेक आठों और खंडों रॉकि में पूर्ण 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
 ■ खंडों में मौजूद अंक भरें जो आप हल करने में सक्षम हैं।
 ■ खंडों को केवल एक ही हल है।

अपना ब्लॉग

ग्रामीण विकास का लगातार बढ़ता बजट

मोहन। गांधीजी मानते थे कि गांवों की स्थिति में सुधार करके ही देश को ताकतवर बनाया जा सकता है। उनकी ग्रामोत्थान की इसी कल्पना के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई। गांधी जी समझते थे कि प्राचीन व्यवस्था के मुताबिक पंचायतों को गौरवशाली और प्रभावी होने में वक्त लगेगा। उन्हें आशंका थी कि पंचायतों को अगर सही तरीके से विकसित नहीं किया गया तो वे गांवों के सर्वांगीण विकास का जरिया नहीं बन पाएंगी। दुर्भाग्यवश हमारी मौजूदा पंचायती राज व्यवस्था गांधी की उस आशंका को सही साबित कर रही है। इसकी वजह है, गांव पंचायतों से उनकी मूल आत्मा का गायब हो जाना। इसका एक बड़ा कारण है ग्रामीण विकास का लगातार बढ़ता बजट। अब हालत यह है कि 2020-21 के बजट में ग्रामीण विकास के तमाम मदों को जोड़ दिया जाए तो करीब 2.16 लाख करोड़ का प्रावधान रहा।

नौकरी मांगने वालों पर लट्ट बजाने के आदेश है।

